संख्या– 1489/नौ–7–18–6(ज)/2018

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1. निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद उ0प्र0।
(एक लाख जनसंख्या से अधिक के निकाय)

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनाँक :22 सितम्बर, 2018

विषयः–**नगरीय निकायों में प्रवर्तन दल की स्थापना।**

महोदय,

नगरीय निकायों में प्रवर्तन दल की स्थापना के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–181/नौ–7–18–6(ज)/2018, दिनांक 29 मार्च, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2018 को अवक्रमित करते हुए कतिपय संशोधनों सहित यह शासनादेश निर्गत किया जा रहा है।

2. नगरीय निकायें संवैधानिक स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं। इन्हें संविधान के 74वें संशोधन के माध्यम से और अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रतिनिधानित किया गया है। नगरीय निकाय के कर्तव्य/दायित्वों का निर्वहन अधिनियम तथा नियमावली के प्राविधानों तथा सदन के निर्णयों के माध्यम से किया जाता हैं। स्थानीय निकायों को सौंपे गये कर्तव्यों एवं दायित्वों में प्रवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रवर्तन को अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है। शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों और अधिनियम व नियमावलियों के प्राविधानों का अनुपालन स्थानीय निकायों द्वारा सुनिश्चित करने में नियमित अनुश्रवण तथा प्रवर्तन की महती भूमिका होती है। निकायों के महत्वपूर्ण दायित्वों में नियमित सफाई, स्वास्थ्य, ट्रैफिक, अपशिष्ट प्रबन्धन, सड़क, मार्ग प्रकाश के अतिरिक्त निकायों की सम्पत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराना व अतिक्रमण मुक्त रखना, मार्गों से अतिक्रमण हटाना, अनधिकृत स्थानों पर लगे होर्डिंग्स व ट्रैफिक सुरक्षा, अनधिकृत पार्किंग रोकना, निकायों की सम्पत्तियों पर से अनधिकृत कब्जा हटाना, अप्रदूषणकारक पशुओं का विनियमन और नियंत्रण, प्लास्टिक कैरीबैगों के प्रयोग व प्लास्टिक/थर्माकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात निस्तारण योग्य कपों, ग्लासों, प्लेटों इत्यादि पर प्रतिबन्ध आदि सम्मिलित है।

3. उपरोक्त के संबंध में मा. उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में विस्तृत रूप से शासनादेश संख्या–3079/नौ–7–12–16ज/2012, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 जारी किया गया है। मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का कियात्मक अंश निम्नवत् है–

Order dated 06-04-2005 (Writ Petition No.2435(MB) of 2001)

"....The Senior Superintendent, Lucknow shall provide the necessary force to the Nagar Nigam for removing the encrochment from the footpath, pavements, public road and streets, He shall also ensure that the in charge/Beat in charge of the concerned Police Station shall take all necessary steps for removing the encrochments from the foot paths pavements. public roads,streets etc in their respective areas..."

Order dated 17-5-2005 (Writ Petition No 2435 (M/B) of 2001)

' any encroachment is made on the footpaths and pavements then the responsibility will be of the 'In charge' of the concerned police station and the Superintendent of the police of the area shall be accountable for the same..."

Order dated 27-02-2006 (Writ Petition No 2435 (M/B) of 2001)

" ....the Nagar Nigam,the development Authority, the Public works, Department and the local police shall remove all the encroachment from the foot pathes. pavements roads and street and ensure that the encrochment which was removed earlier do not recur..."

Order dated 09-05-2008 (Writ Petition No 2435 (M/B) of 2001)

"......In the meantime, the Public Works Department, the Lucknow Development Authority, the Lucknow Nagar Nigam and U.P. Awas evam Vikas Parishad, with the assistance of police remeve all the encroachments and unauthorized parking, as ordered by this Court from time to time, from the roads, streets, footpaths and pavements. They shall also remove the encroachments from all the colonies of the city....."

Order dated 18-7-2008 (Writ Petition No 2435 (M/B) of 2001)

".....the piblic works department. Development authority, the U.P.Awas evam Vikas Parishad and the Ngar Nigam, with the assistance of local police,shall remove all the encroachments and unauthorized parking, and also demolish the illegal constructions raised on the public land use though out the city. They shall, with the help of National Highways passing through the city.

The senior Superintendent of polic, shall provide adequate police force to Development Authority, U.P.Awas evam Vikas Parishad and Nagar Nigam Lucknow on their demand."

4. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 में उल्लिखित बिन्दुओं के अतिरिक्त नगरीय निकायों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा से लेकर यातायात व स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर शासन के निर्देश तथा नियमावली के प्राविधानों का सही तरीके से कियान्वयन करने के लिए एक मजबूत प्रवर्तन दल की आवश्यकता महसूस की गयी। इस संबंध में प्राविधान उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959 की धारा 115 के खण्ड 41 में उपलब्ध हैं।

5. अतः उक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत **नगर निगमों में पहले चरण में प्रवर्तन दल का गठन होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी नगर निकाय यदि प्रवर्तन दल का अपने निकाय में गठन करना चाहता है तो वह इस शासनादेश के प्राविधानों के अनुरूप गठन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।**

6. प्रवर्तन दल के गठन हेतु की जाने वाली व्यवस्था को निम्नानुसार लागू किया जाना प्रस्तावित हैः–

(1) <u>नगर निगम प्रवर्तन दल हेतुः</u> –

(क) सेवानिवृत्त कर्नल/लेफ्टिनेन्ट कर्नल स्तर के अधिकारी (या इनके समकक्ष भारतीय नौसेना/भारतीय वायु सेना के अधिकारी) प्रवर्तन दल के प्रभारी होंगे।

(ख) सेवानिवृत्त जे0सी0ओ0 रैंक के अधिकारी टीम लीडर होंगे। (संख्या–03)

(ग) सेवानिवृत्त एन0सी0ओ0/ओ0आर0 रैंक के अधिकारी स्क्वायड कमाण्डर (संख्या–6)

(घ) सिपाही/कांस्टिबल, कुल - 2 (पी0आर0डी0 या होमगार्ड) जवान होंगे।

(2) <u>प्रवर्तन दल नगर पालिका परिषद (01 लाख से अधिक जनसंख्या) :–</u>

(क) सेवानिवृत्त जे0सी0ओ0 रैंक के अधिकारी प्रवर्तन दल के प्रभारी होंगे।

(ख) सेवानिवृत्त एन0सी0ओ0/ओ0आर0 रैंक के अधिकारी स्क्वायड कमाण्डर होंगे। (संख्या–2)

(ग) सिपाही/कांस्टिबल, (पी0आर0डी0 या होमगार्ड) जवान होंगे (कुल 04)

(3) <u>प्रवर्तन दल के दायित्व :–</u>

1. प्रवर्तन दल सालिड बेस्ड मैनेजमेंट और विशेष तौर पर प्लास्टिक के कूडे पर प्रवर्तन प्राथमिकता से करेंगे।
2. यह दल कूडे के अवैध रूप से किये जा रहे निस्तारण से हॉट स्पाट एवं इण्टर सिटी रोड्स पर भी कूडे के अवैध भण्डारण /निस्तारण पर प्रवर्तन करेंगे।
3. नगरीय निकाय की सम्पत्तियों से अतिक्रमण/अवैध कब्जा हटाना और न होने देना सुनिश्चित करना।
4. अवैध विज्ञापन पटों को हटाना और अवैध विज्ञापन पट न लगने देना।
5. सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण/अवरोध हटाना और उसकी पुनरावृत्ति न होने देना।
6. अवैध पार्किंग को रोकना।
7. प्रतिबंधित बेण्डिग जोन में बेण्डिग न होना सुनिश्चित करना और संबंधित नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करना।
8. प्रतिबंधित प्लास्टिक/थर्मोकोल के विक्रय पर प्रतिबंध सुनिश्चित करना।
9. नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रवर्तन के संबंध में दिये गये अन्य कार्य।
10. प्रवर्तन दल के साथ नगर निगम/नगर पालिका परिषद का सक्षम अधिकारी/कर्मचारी जो स्थल पर समुचित निर्णय लेने, शास्ति आरोपित करने और प्रवर्तन का क्रियान्वयन करने हेतु अधिकृत हो प्रवर्तन दल के साथ रहेगा।
11. प्रवर्तन दल द्वारा कृत्य/सम्पन्न कार्यवाही, वसूली की गयी शास्ति की धनराशि और दायित्वों के निवर्हन के संबंध में प्रगति की नियमित मासिक समीक्षा नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा की जायेगी और उसकी सूचना और परफारमेन्स रिर्पोट प्रतिमाह शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
12. प्रवर्तन दल के सदस्यों के वेतन देयों का भुगतान संबंधित नगरीय निकायों द्वारा किया जायेगा। प्रवर्तन दल को भुगतान किये गये वेतन की समीक्षा उसके द्वारा किये गये कार्यो की प्रगति के आधार पर की जायेगी।

(4) <u>प्रवर्तन दल की नियुक्ति :–</u>

क– प्रवर्तन दल के प्रभारी का चयन भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से राज्य स्तर की समिति करेगी।

ख– प्रवर्तन दल के अन्य भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से संबंधित प्रवर्तन दल के प्रभारी के साथ नगर निगम/नगर पालिका परिषद के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारियों के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे।

ग प्रवर्तन दल के अन्य कर्मियों यथा होमगार्ड, पी0आर0 डी0 की नियुक्ति पैरा–ख के अनुसार संबंधित नगर निकाय के नगर अयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

घ उक्त के अलावा अगर प्रवर्तन दल को और कोई लेबर इत्यादि की आवश्यकता हो तो संबंधित नगर निकाय अपने यहा उपलब्ध मानव संसाधन से उपलब्ध करायेंगे।

(5) **प्रवर्तन दल को दी जाने वाली सुविधाएं :–**

क– संबंधित निकाय द्वारा प्रवर्तन दल को कार्य की सुविधा हेतु यथा आवश्यकतानुसार एक कक्ष एवं दो कार्यालय सहायक उपलब्ध कराये जायेंगे।

ख– संबंधित निकाय द्वारा प्रवर्तन दल को एक छोटी गाडी एवं दो अन्य ऐसे वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे, जिससे दल के कार्मिक प्रवर्तन हेतु कार्य प्रभावी रूप से कर सकेंगे।

ग– संबंधित निकाय द्वारा प्रवर्तन दल के प्रभारी एवं अधिकारियों को प्रवर्तन के प्रभावी कियान्वयन हेतु यथा आवश्यकतानुसार दूरभाष सुविधा भी प्रदत्त की जायेगी।

7. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

22.9.18

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त महापौर, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
6– कम्प्यूटर सेल।
7– गार्ड फाईल।

19/9/18

आज्ञा से,

19/9/18

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।